–छप्पन–

उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं निबन्धन अनुभाग—5 <u>संख्या क0नि0—5—1693 / 11—2005—500(90)—2003</u> <u>लखनऊ, दिनांक 03 मई, 2005</u> अधिसूचना आदेश

प0आ0-206

उत्तर प्रदेश में अपने उपयोजन के सम्बन्ध में समय—समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शिक्त का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से उपर्युक्त अधिनिमय की अनुसूची 1—ख के अनुच्छेद 35 के अधीन ऐसी पट्टा लिखत पर, जो भारत सरकार द्वारा खान और खिनज विनियमन और विकास अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67 सन् 1957) के अधीन बनायी गयी खिनज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 15 के उपनियम (2) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स) के रूप में प्रपत्र—च पर या खिनज परिहार नियमावली, 1960 के नियम 7क के अधीन सर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (रेकानिशॉ लाइसेंस) के रूप में प्रपत्र च—1 पर राज्यपाल द्वारा किसी उद्यमकर्ता के पक्ष में निष्पादित की गयी हो, एक सौ रुपये से अधिक प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से, ह0अस्पष्ट अतुल चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Government notification no. K.N.-5-1693/XI-2005-500(90)-2005, dated June 22, 2004 for general information:

No. K.N.-5-1693/XI-2005-500(90)-2005 Lucknow, Dated May 03, 2005 In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit with effect from the date of its publication in the Gazette, the stamp duty above rupees one hundred chargeable on instrument of Lease under Article 35 of Schedule 1-B of the aforesaid Act executed on behalf of the Governor is favour of any entrepreneur on Form-F as a Prospecting License under subrule (2) of rule 15 of Mineral Concession Rules, 1960 or executed on Form F-1 as a Reconnaissance License under rule 7A of Mineral Concession Rules, 1960 made under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act,1957 (Act no. 67 of 1957) by the Government of India.

By order, Sd/-Illegible ATUL CHATURVEDI, Pramukh Sachiv.